



मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर

FORM –‘E’

Form of supply of the Information to the applicant

(See Rule 4(3))

No.RTIA/DR-HCIND/ 2492

Indore, Dated: 12/12/2018

प्रति,

श्री मुकेश कुमार वर्मा
S/o श्री गंगाराम वर्मा
व्यवसाय-नौकरी
R/o. ए.एस-55, एम.ओ.जी. लाईन
इन्दौर (म.प्र.)

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत जानकारी प्राप्ती बाबद्।

संदर्भ :- आपका आवेदन पत्र Form-A दिनांक 27/11/2018 आवक नंबर 3065 दि.
-27/11/2018 आई.डी में पंजीकृत आई.डी.नं.33/2018-19, दि. 27/11/2018

उपरोक्त संदर्भित आवेदन पत्र के अंतर्गत आपके द्वारा निम्नानुसार जानकारी चाही गयी हैं :-

**“एम.ए. नं.110/2005 + LCR के संबंध में श्री प्रमोद कुमार मंडलोई तत्कालीन
रीडर के विभागीय के सूचना (ज्ञापन) और आरोप पत्र की प्रतिलिपि”**

1. आपके द्वारा उपरोक्त चाही गयी जानकारी के विषय में संबंधित शाखा से दिनांक 04/12/2018 को (02 पृष्ठों में) दी गई हैं जिसमें से आपसे संबंधित प्रकरण एम.ए. 110/2005 संबंधी जानकारी आपको प्रदान की जा रही हैं एवं अन्य दो प्रकरणो संबंधी जानकारी आपसे संबंधित नही होने के कारण इन दो पृष्ठो में छिपा दी गई हैं।
2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अनुसार, आप इस आदेश के 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी (प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म.प्र.उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर) को अपील प्रस्तुत कर सकते हैं।

संलग्न: - 02 पृष्ठ।

o/c

(राजेश कुमार शर्मा)
लोक सूचना अधिकारी-सह-डिप्टी रजिस्ट्रार,
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय,
खण्डपीठ इन्दौर